रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 5, 1996/कार्तिक 14, 1918
No. 371] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 5, 1996/KARTIKA 14, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1996

सं. 35/96-के. उ. शु. (एन. टी.)

सा. का. नि. 512 (अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी प्रथा के अनुसार जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत (जिसके अंतर्गत उसका उद्ग्रहण न किया जाना भी है) साधारणतया प्रचलित थी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के शीर्ष सं. 52.03 या 55.05 के अंतर्गत आने वाले और शक्ति की सहायता से या उसके बिना ढण्डन, ताना बनाने वेष्टन आवलन या रीलन या इनमें से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं के अधीन तथा ऐसी सूती सूत या सेलूलोसिक कते सूत से उत्पादित हो, जिस पर उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के यथास्थिति शीर्ष सं. 52.03 या 55.05 के अंतर्गत पहले ही संदत्त किया जा चुका है सूती सूत और सेलूलोसिक कते सूत पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1 मार्च, 1944 से प्रारम्भ होने वाले और 22 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त धारा 3 के अधीन उद्ग्रहीत नहीं किया गया था;

अतः, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त प्रथा के कारण उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीन ऐसे सूती सूत और सेलूलोसिक कते सूत की बाबत देय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क का संदाय ऐसे सूती सूत और सेलूलोसिक कते सूत की बाबत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिस पर प्रथा के अनुसार पूर्वोक्त अवधि के दौरान उक्त उत्पाद शुल्क उद्गृहीत नहीं किया जा रहा था ।

[फा. सं. 52/4/94-सी. एक्स.-1]

एस. सी. भाटिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 1996

No. 35/96-Central Excise (N. T.)

G.S.R. 512 (E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise on cotton yarn and cellulosic spun yarn, falling under heading No. 52.03 or 55.05 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) and subjected to beaming, warping, wrapping, winding or reeling or any one or more of these processes, with or without the aid of power, if produced out of cotton yarn or cellulosic spun yarn on which the duty of excise has already been paid under heading No. 52.03, or as the case may be, under heading No. 55.05, of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), was not being levied under the said section 3 during the period commencing on the 1st of March, 1994 and ending with the 22nd of March, 1994 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11-C of the said Central Excise Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of excise payable under the said Act, on such cotton yarn and cellulosic spun yarn, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such cotton yarn and cellulosic spun yarn on which the said duty of excise was not being levied during the period aforesaid, in accordance with the said practice.

[F. No. 52/4/94-CX. 1]
S. C. BHATIA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996